

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.102/2024

RBE No.91/2024

No.ECR-HQOPERS (RULE)/2/2024 Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

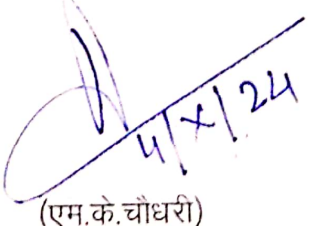
विषय:-Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted
Railway employees for the financial year 2023-2024.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-E(P&A)II/2024/PLB-1, Dated-04.10.2024.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.


(एम.के.चौधरी)

सकाधि/ई.एस.एम.

कृतें महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर-कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।



GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 91 / 2024

No. E(P&A)II/2024/PLB-1

New Delhi, dt. 04.10.2024

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways &
Production Units etc.

Sub: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2023-24

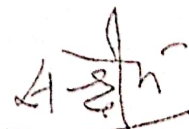
The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 (Seventy Eight) days wages' without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2023-24 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages' exceed ₹7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the 'wages' are ₹7000/- p.m. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry's instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.

2. It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned in Para 1 above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2023-24 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of ₹17,951/- towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2023-24. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.

3. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.

4. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2023-24 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made in the same mode as payment of salary on priority basis.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Sundeep Pal)

Executive Director
Pay Commission
Railway Board

Email: sundeep.p@gov.in

COFMOW, Railway Office Complex, Tilak Bridge, New Delhi-110002



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरवीई सं. ११/2024
नई दिल्ली, दिनांक 04.10.2024

सं. ई(पीएंडए)॥/2024/पीएलबी-1

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकता
संबद्ध बोनस का भुगतान।

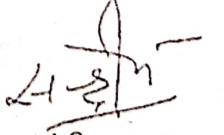
राष्ट्रपति, वित्त वर्ष 2023-24 हेतु सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कार्मिकों को छोड़कर) को पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के 78 (अठहत्तर) दिनों की मजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। जहाँ मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रति माह से अधिक है, वहाँ उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी कि मानो मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपये) प्रति माह ही है। इस मंत्रालय के अनुदेशों में यथा निर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने की पद्धति आदि और समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण अपरिवर्तनीय रहेंगे।

2. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों, जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या जो ऐसी छुट्टी पर थे कि अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत 17,951/- रुपए की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।

3. इसके अलावा, आर-1/संस्करण 1985 (पुनर्मुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथा अंतर्विष्ट राज्य रेल भविष्य निधि नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित उपबंधों में छूट देते हुए, राज्य रेल भविष्य निधि के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहें तो अपने संबंधित राज्य रेल भविष्य निधि लेखा में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसी प्रकार किया जाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(सुदीप पाल)
कार्यकारी निदेशक
वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

ईमेल: sundeep.p@gov.in

कॉफमो, रेल कार्यालय कॉम्प्लेक्स, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002

